समान नागरिक संहिता
के पीछे देश को
हिन्दू राष्ट्र बनाने की साजिश
हस्बे फरमाइश- नबीरये मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हज़रत सय्यद शाह
मीर मोहम्मद हुसैन मियाँ वाहिदी बिलग्रामी सज्जादा नशीन खानकाहे
आलिया वाहिदया ज़ाहिदया व सरबराहे आला जामिया मीर अब्दुल वाहिद, बिलग्राम शरीफ
मोहम्मद राहत खाँ क़ादरी
संस्थापक व कुलपति दारूल उलूम फैज़ाने ताजुश्शरीआ, बरेली शरीफ
नाशिर
अलमकतबुन्नूर, बरेली शरीफ
(M) 9457919474 E-mail:mrkmqadri@gmail.com

समान नागरिक संहिता
के पीछे देश को
हिन्दू राष्ट्र बनाने की साजिश

मोहम्मद राहत खाँ क़ादरी

संस्थापक व कुलपति दारूल उलूम फ़ैज़ाने ताजुश्शरीआ, बरेली शरीफ

नाशिर

अलमक्तबुन्नूर

बरेली शरीफ

जुम्ला हुकूक बहक नाशिर महफूज

नाम किताब : समान नागरिक संहिंता के पीछे देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने की साज़िश

मुरत्तिब : मोहम्मद राहत खान क़ादरी
संस्थापक व कुलपति दारूल उलूम फ़ैज़ाने ताजुश्शरीआ, बरेली शरीफ

पेज : 20

साल इशाअत : पहला एडीशन 1438 हिजरी
मुताबिक 2016

नाशिर : अलमक्तबुनूर, बरेली शरीफ

Publisher
ALMAKTABUN-NOOR
Shikarpur Chudhari Near Izzatnagar
Bareilly Shareef - 243122 (U.P.) India
Mob. +91-9457919474, +91-9058145698
E-mail : faizanetajushshariya@gmail.com
Website : faizanetajushshariya.com

पेश लफ़्ज़

अल्लामा डॉ0 गुलाम मुस्तफ़ा नजमुल क़ादरी साहिब
जामिया रज़विया पटना

आज सब देश वासी परेशानी और मुसीबत में पड़े हुए हैं, न किसी को सुकून है और न इतमिनान, न औरत के चेहरे पर सच्ची मुसकुराहट है न आदमी की पेशानी पर हँसी, ऐसे वक्त में सिर्फ़ इस्लाम ही है जो हर एक के दिल की दवा करके मुराद के किनारे तक पहुँचाता है क्यूंकि इस्लाम लोगों का बनाया हुआ क़ानून नहीं बल्कि ख़ुदा का बनाया हुआ दस्तूर है। बन्दों का दीन बन्दों का बनाया हुआ आईन सिर्फ़ गुज़िश्ता व मौजूदा ज़माने के लिए ही होता है मगर ख़ुदा का बनाया हुआ आईन अपनी जगह पर अटल है उसूले माज़ी और हाल के साथ मुस्तक़्बिल को भी मुहीत है। क्यूंकि ये आने वाले ज़माने और हालात के मन्ज़र पसे मन्ज़र का भी अमीन है और ऐसा इसलिए कि दूसरे दीनों की तरह जब कोई क़ानून नाफ़िज़ुल अमल होने के बाद मन्फ़ी नतीजा देने लगता है और हर तरफ़ हाहा कार मचती है तो ऐसे वक्त में इस क़ानून की जगह दूसरा क़ानून लाया जाता है, फिर जब भी नहीं चल पाता तो तीसरे क़ानून की बात होने लगती है, क्यूंकि ये सब क़ानून मुस्तक़्बिल को देखकर नहीं बनते इसलिए ऐसी परेशानी से दो चार होना। ये फ़ितरी बात है, मगर ख़ुदा का क़ानून ख़ुद बदलने के लिए नहीं बल्कि हालात को बदलने और समाज व मुआशरा को अपनी आईनी ज़न्जीर में जकड़ कर इतमीनान व सुकून का सूरज रौशन करने के लिए है फ़र्द से लेकर जमाअत तक ये सब की दाख़ली जरूरतों का भरपूर ख़्याल रखता है इसलिए न यहाँ कोई ज़ुल्म है और न नाइन्साफ़ी का कोई गुज़र, वैसे मज़हबे इस्लाम जितना सख़्त जान है उतना ही हिम्मतो इस्तिक्लाल का पैकर है। इसको हर दौर में आज़माया गया है, हर दौर में इसके सब्र का इम्तिहान लिया गया, हर दौर में इस पर काले बादल मंडलाये लोगों ने इसकी रौशनी को कम करना चाहा मगर यह हर मुसीबत और हर परेशानी से हंसते मुस्कुराते इसलिए गुज़र गया कि यह ख़ुदा का दीन है " अल्लाह के दीन में कोई तबदीली

नहीं'' (अल कुरआन) '' हमने दीन को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफ़ाज़त कर रहे हैं''(अल कुरआन)

फ़ानूस बनके जिसकी हिफ़ाज़त हवा करे
वह शमा क्या बुझे जिसे रौशन ख़ुदा करे

इन दिनों पूरे देश में हुकूमत की तरफ़ से छोड़े गए शोशे को लेकर तूफ़ान सा आगया है एक बार फिर समान नागरिक संहिता और तीन तलाक के मसले को लेकर तमाम मुसलमान अलग अलग तरीके से ये सोच रहे हैं कि कैसे इसका मुक़ाबला किया जाऐ जिसकी वजह से हुकूमत अपने फ़ैसले को वापिस लेने पर मजबूर हो इसकी कोशिश अपने शबाब पर है।

इस सिलसिले की एक हक़ाइक़ पर मब्नी ख़ूबसूरत कड़ी हज़रत अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद राहत ख़ान क़ादरी साहब बानी व नाज़िम दारूल उलूम ताजुश्शरीआ बरेली शरीफ़ का यह मज़मून है जो बज़ाहिर है तो सिर्फ़ बीस (20) पेज का गुलदस्ता मगर इन बीस पेज में मौसूफ़ ने दलीलों और हक़ीक़तों को छल्नी में छान कर अपनी क़ीमती बात पेश की है वह सैकड़ों सफ़हात की ज़ख़ीम व अज़ीम किताब पर भारी है। छोटे छोटे मगर चुगते हुए जैली अनावीन के सांचे में आपने जिस तरह अपनी आवाज़ को ढाला है हर पढ़ने वाला उससे मुतअस्सिर हुए बग़ैर न रह सकेगा जैसेः मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिफ़ाज़त का भरोसा दिलाना, मज़हब की आज़ादी का हक़, समान नागरिक संहिता, क्या समान नागरिक संहिता को लागू करना ज़रूरी है?, खुदकुशी के असबाब, समान नागरिक संहिता की आड़ में, इस्लाम में औरत का मक़ाम, इस्लामी तलाक़ की खूबी, आदि। ऐसे ऐसे उनवानात से अपने मज़मून की पेशानी सजाने और संवारने की कोशिश की गयी है कि संजीदा और एक सू होकर जो भी इन तहरीरात के झुरमुट से गुजरेगा मज़मून की ख़ूबसूरत लेहरें ज़रूर उसको अपनी तरफ़ ख़ीचेंगी।

ख़ुदा करे ये किताब हर पढ़ने वाले की ज़रूरत बनकर हुकूमत के ऐवान में इन्क़िलाब पैदा करने में कामयाब से कामयाब तर साबित हो और मुझे उम्मीद है ऐसा ही होगा और ज़रूर होगा। मैं तहेदिल से मुबारक बाद पेश करता हूँ कि बरवक़्त एक बहुत ही काम की चीज़ इनके क़लम से वजूद में आई। अल्लाह तआला इसे क़बूलियते आम की दौलत से मालामाल फ़रमाए।(आमीन)

मेरा प्यारा वतन हिन्दुस्तान है इसको आज़ाद कराने में हमारे बुज़ुर्गों ने अपने ख़ून की क़ुर्बानी पेश की है जब पूरा हिन्दुस्तान ज़ुल्मों ज़्यादती की अंग्रेज़ी चक्की में पिस रहा था उस वक़्त भी हिन्दुस्तान में बसने वालों में फ़िक्रो नज़र, रंगो नस्ल, तहज़ीबो तमद्दून और राष्ट्रीय मफ़ादात व जोग्राफ़ियाई ताअल्लुक़ में इख़्तिलाफ़ था। उसके बावजूद हर मज़हबो तहज़ीब और हर रंगो नस्ल से ताअल्लुक़ रखने वाले तमाम हिन्दुस्तानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद और एक होकर उठ खड़े हुऐ थे। हर एक को मालूम था कि हमारा मुल्क (धर्मनिरपेछ) सिक्यूलिरिज़्म (Securelizm) की राह पर गामज़न रहेगा। और उल्माऐ किराम की मेहनतें और परेशानियां सिर्फ़ और सिर्फ़ मुल्क में निफ़ाज़े शरीअत के मक़सद से थीं। मुसलमान वह तो अपनी सबसे क़ीमती दौलत ईमान व इस्लाम ही को समझता है अपने ईमान व इस्लाम की हिफ़ाज़त के लिऐ अपना सब कुछ क़ुर्बान करने के लिऐ तैयार हो जाता है बल्कि जब ज़रूरत पड़ती है तो ईमान व इस्लाम की हिफ़ाज़त के लिऐ कुछ भी कर गुज़रने में दरेग़ (अफ़सोस) नहीं महसूस करता है। जिसको हमारे इस दअवे में ज़र्रा बराबर शुबह (शक) हो वह तारीख़ को उठाये और देखे कि न जाने कितनी तारीख़ों को हमने सिर्फ़ अपने ख़ून की क़ुर्बानियों से रक़म किया है। जो क़ौम अपने दीनो ईमान को इतना क़ीमती तसव्वुर करती हो उनके बारे में यह ख़्याल तक नहीं किया जा सकता कि उन्होंने इस (ईमानो इस्लाम की हिफ़ाज़त के) यक़ीनो ऐतिमाद के बग़ैर अपने आपको मैदाने कारज़ार में पेश किया हो।

मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़ की यक़ीन दिहानीः–

आज़ादी से पहले ही लीडरों ने बार बार ''मुस्लिम पर्सनल लॉ'' के तहफ़्फ़ुज़ और उसमें अदमे मुदाख़लत की यक़ीन दिहानी कराना शुरू कर दी थी। मिस्टर मोहनदास करम चन्द्र गाँधी जी ने भी गोल मेज़ कान्फ्रेन्स लन्दन 1921 ई० में पूरी वज़ाहत व सराहत के साथ इसी को बयान करते हुये यूँ कहा था :–

''मुस्लिम पर्सनल लॉ को किसी भी क़ानून के ज़रिये छेड़ा नहीं जायेगा''

''मुस्लिम पर्सनल लॉ की बक़ा व हिफ़ाज़त के लिये क़ानूने

तहफ़्फ़ुज़े शरीअत 1937 (Shariyat Application Act 1937) में पास किया गया और उसको आईने हिन्द का हिस्सा बना दिया गया।''

''1938 ई० में हरीपुर में कान्ग्रेस ने ऐलान किया अक्सरियत की तरफ़ से मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी क़िस्म की तब्दीली नहीं की जायेगी।''

आईने हिन्द में मुस्लिम पर्सनल लॉ की अहमियतः-

''26 जनवरी 1950 ई० को हमारे मुल्क में दस्तूर का निफ़ाज़ हुआ। हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद जब दस्तूरे हिन्द को मुरत्तब किया गया तो क़ानून के सबसे अहम हिस्सा बुनियादी हुक़ूक़ (Fundamental Rights) की फ़हरिस्त में ऐसी दफ़्आत भी रखी गई जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिफ़ाज़त होती है। बुनियादी हुक़ूक़ (Fundamental Rights) यह हैं।

1) बराबरी का हक़ (Right to Equality)
2) आज़ादी का हक़ (Right to Freedom)
3) मज़हबी आज़ादी (Right to Freedom of Religion)
4) तहज़ीबी और तालीमी हुक़ूक़ (Culture Educational Right)
5) जायदाद रखने का हक़ (Right of Property)
6) दस्तूरी दादरसी का हक़ (Right to Constitutional Remedy)
7) इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ हक़ (Right against Exploitation)

मज़हब की आज़ादी का हक़ः-

हमारे मुल्क की यह ख़ुसूसियत है कि यहाँ ग़ैर मज़हबी (Secular Democracy) क़ायम है यानि स्टेट का कोई मज़हब नही है और हर मज़हब को एक जैसी हैसियत हासिल है। हिन्दुस्तान के तमाम बाशिन्दे ख़्वाह वह किसी भी मज़हब के पैरोकार हों मुश्तरक शहरियत में मुन्सलिक हैं। हर हिन्दुस्तानी शहरी को स्टेट से मुतमत्तेअ़ होने और उससे फ़ायदा उठाने का पूरा-पूरा हक़ हासिल है। मज़हब या ज़ात पात या किसी ख़ास इलाक़े या रियासत में पैदा होने से किसी हिन्दुस्तानी को शहरियत के किसी भी हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता है।

दफ़ा 25ः

(1) पब्लिक आर्डर, अख़्लाक़ियात, सेहते आम्मा और इस क़िस्म के

दूसरे अहकाम के ताबे रहकर तमाम लोगों को ज़मीर की आज़ादी, मज़हब के इख़्तियार करने, उस पर अमल करने और उसकी इशाअ़त का मसावी (बराबर) हक़ होगा।

(2) यह आर्टिकल किसी ऐसे मुरव्वजा क़ानून को मुतास्सिर नहीं करेगा और न रियासत के लिये किसी ऐसी क़ानून साज़ी के लिये माने होगा, जिसके ज़रियेः

(अ) किसी मज़हबी रस्म के मआशी, माली, सियासी या किसी सैक्यूलर पहलू को मुन्ज़बित या महदूद किया जाये।

(3) उसमें दी हुई दीगर दफ़्आत के ताबे हर शहरी को अपने मज़हबी अक़ाइद पर क़ायम रहने, उस पर अमल करने और उसकी तब्लीग़ की इजाज़त होगी।

बुनियादी हुक़ूक़ को नक़ाबिले तन्सीख़ बनाने के लिये दस्तूर के आर्टिकल 13 (2) में यह बात साफ़ कर दी गई कि हुकूमत कोई ऐसा क़ानून नहीं बना सकती जो बाब 3 (मज़हबी आज़ादी (त्पहीज जव थ्तममकवउ वत्िमसपहपवद) में बुनियादी हुक़ूक़ के ख़िलाफ़ हो, या उसमें किसी क़िस्म की कोई कमी हो। दस्तूर की इन्हीं दफ़्आत की रू से मुस्लिम पर्सनल लॉ मुसलमानों के लिऐ नक़ाबिले तन्सीख़ व तब्दील बुनियादी हक़ है। उसमें तब्दीलो तन्सीख़ के लिये इक़दाम करना गोया कि मुसलमानों को उनके बुनियादी हक़ से महरूम करना और आईने हिन्द की खुली मुख़ालफ़त करके मुसलमानों के दीनी व मज़हबी ईमानी व इस्लामी जज़्बे को ठेस पहुँचाना है।

सामान शहरी क़ानूनः-

यूनीफ़ार्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) यक्सां सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड या यक्सा शहरी क़ानून और समान नागरिक संहिता आज हमारे मुल्के हिन्दुस्तान में ज़ेरे बहस है। यूनिफ़ार्म सिविल कोड अभी तजावीज़ के मरहले में है ये (समान नागरिक संहिता) बज़ाते ख़ुद तो कोई क़ानून नहीं है लेकिन एक ऐसे क़ानून की तदवीन के लिये राह हमवार (साफ़) कर रहा है। जिसके तहत हिन्दुस्तान के तमाम आईली मुस्लिम क़वानीन को ख़त्म करना मक़सूद है। जिनके माख़ज़ (सर चश्मा) क़ुरान व हदीस व फ़िक़्ह हैं। जम्हूरे हिन्द के दस्तूर के आर्टिकल 5 ता 19 के तहत ज़िक्र किये गये तमाम इख़्तियारात को ग़ैर दस्तूरी क़रार

उन पर अमल आवरी को ताज़ीरी जुर्म क़रार दिया जायेगा। मजहबे मुहज़्ज़ब के इस्लामी क़वानीन जो निकाह व तलाक़, मेहर व विरासत और तर्का व वक़्फ़ वग़ैरह से मुतअल्लिक़ हैं जिनको आइली क़वानीन कहा जाता है उन्हीं के मजमूऐ का नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ है जिसकी हिफ़ाज़त व बक़ा के लिऐ क़ानून तहफ़्फ़ुज़े मुस्लिम शरीअत (ैतपंलज चचसपबंजपवद बज 1937) में पास किया और उसको आईने हिन्द का हिस्सा बना दिया गया। 1938 ई० में हरीपुर में कान्ग्रेस ने ऐलान किया अक्सरियत की तरफ़ से मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी क़िस्म की तब्दीली नहीं की जायेगी।

यूनिफ़ार्म सिविल कोड यह है कि देश के सारे इलाक़ों में तमाम शहरियों के लिये समान (यक्सां) क़ानून तरतीब दिया जाये। दस्तूरे हिन्द ने आर्टीकल (37) के ज़रिऐ यह भी वाज़ेह किया है कि इस हिस्से में दर्ज रहनूमा उसूल कोड के ज़रिऐ क़ाबिले निफ़ाज़ नहीं होंगे। यानि यह नहीं होगा कि कोई शख़्स कोर्ट से यह हुक्म या हिदायत हासिल कर ले कि फ़ुलां उसूल को नाफ़िज़ किया जाये या उसकी तामील की जाये।

दस्तूर के रहनूमा उसूल (Directive Principal) की दफ़ा 44 में यह कहा गया है :

''रियासत कोशिश करेगी की पूरे मुल्क में शहरियों के लिऐ यक्सां(समान)शहरी क़ानून नाफ़िज़ हो''

पारलियामेन्ट में जब मज़कूरा दफ़ा को पढ़ा गया तो इस पर तवील (लम्बी) बहस छिड़ गयी, मुस्लिम अरकाने पारलियामेन्ट ने इस दफ़ा में इज़ाफ़ा व तरमीम का मुतालबा किया और मुतअद्दिद तरमीमें पेश कीं जिनको डा० अम्बेडकर ने यह कहकर ख़ामोश करने की कोशिश की :–

''यह महज़ हुकूमत को इख़्तियार दिया जा रहा है जिसका मतलब यह नहीं है कि महज़ शख़्सी क़वानीन को ख़त्म कर देना ज़रूरी होगा, ख़्वाह मुल्क के मुसलमान, ईसाई या कोई और फ़िरक़ा उससे कितना ही क्यों न इख़्तिलाफ़ करे किसी को यह ख़तरा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ़ इख़्तियार के मिल जाने की वजह से हुकूमत उस पर अमल के लिये इसरार करेगी।''

हुकूमत के इख़्तियारात अमलन हमेशा महदूद हुआ करते हैं ख़्वाह लफ़्ज़ी तौर पर आप उन्हें कितना ही ला महदूद कर दें क्योंकि

हुकूमत अपने इख़्तियारात का इस्तेमाल इस तरह नहीं कर सकती, जिसके नतीजे में मुसलमान बग़ावत पर अमादा हो जायें, अगर किसी वक़्त हुकूमत ऐसा करने की सोचे तो उसे फ़ातेरूल अक़्ल (पागल) कहना चाहिऐ।

आज पूरे मुल्क में मुसलमानों ने यूनिफ़ार्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ मोर्चा ख़ोल रखा है और साफ़ लफ़्ज़ों में हुकूमत को मुतनब्बेह किया जा चूका है कि हमारे शरई मुआमलात में दख़्ल ने दे क्योंकि यह दख़ल अन्दाज़ी मुसलमान किसी भी क़ीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब अगर हमारे मुल्क की हुकूमत ऐसे हालात में भी यूनीफ़ार्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) को नाफ़िज़ करने पर तुली रहे तो उसको डा० अम्बेडकर के अलफ़ाज़ में फ़ातेरूल अक़्ल (पागल) ही कहा जायेगा।

समान नागरिक के पीछे :–

हिन्दुस्तानी लीडर हमारे वतने अज़ीज़ हिन्दुस्तान को दिन ब दिन पस्ती की जानिब ढकेलने के लिये कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत का मतलब व मक़सद सिविल कोर्ट का सहारा लेकर हिन्दुओं के क़वानीन और रस्मों रिवाज को हिन्दुस्तान में बसने वाले तमाम अफ़राद पर मुसल्लत करके हिन्दुस्तान को हिन्दू राष्ट्र के मनसूबे को अमली जामा पहनाना मक़सूद है। इसका अन्दाज़ा साबिक़ मरकज़ी वज़ीरे क़ानून मिस्टर पाटिस्कर के इस बयान से लगाया जा सकता है जो उन्होंने 1955 ई० में एक सवाल (कि पूरे मुल्क में यूनिफ़ार्म सिविल कोड किस तरह नाफ़िज़ किया जायेगा) के जवाब में एक प्रेस कान्फ़्रेन्स में यूँ दिया था :

''हिन्दू क़वानीन में जो इस्लाहात की जा रही हैं वह मुस्तक़बिल करीब में हिन्दुस्तान की तमाम आबादी पर नाफ़िज़ की जायेंगी अगर हम ऐसा क़ानून बनाने में कामयाब हो गये जो हमारी 85 फ़ीसद आबादी के लिये हो तो बाक़ी आबादी पर उसे नाफ़िज़ करना मुश्किल न होगा, इस क़ानून से पूरे मुल्क में यक्सानियत (समानता) पैदा होगी।''

जब हिन्दू पर्सनल लॉ को नई शक्लो सूरत में ढालने की कोशिश की जा रही थी तो उस वक़्त मिस्टर पाटिस्कर ही ने 25 अगस्त 1955 ई० को अपनी रेडियाई तक़रीर में यूँ कहा था :

''हमने आईन के निफ़ाज़ (26 जनवरी 1950 ई०) के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट (Special Marriage Act) हिन्दू मैरिज एक्ट

Marriage Act) पास किये हैं, अब हिन्दू क़ानूने विरासत का मुसव्वदा पारलियामेन्ट में ज़ेरे गौर है, यह सब ज़ाब्ताऐ दिवानी को यक्सां (समान) बनाने के इक्दामात (कोशिशें) हैं।

मज़कूरा दोनो इक्तिबासात से साफ़ ज़ाहिर है कि यूनीफ़ार्म सिविल कोड की आड़ में कोई दूसरा खेल खेला जा रहा है। ऐसा तमाशा बरपा करने वाले लीडरों और हुकूमत के जिम्मेदारों को पहले इस बात पर सर्वे कराने की ज़रूरत है की मज़हबी तालीम से दूरी के बवजूद भी मुसलमान अभी इतना बेहिस व हरकत नही हुआ है कि उसके मज़हबी नज़रियात पर हिन्दुस्तान जैसे जम्हूरी मुल्क में पाबन्दी आइद कर दी जाये और वह ख़ामोशी से देखता रहे या चन्द दिन ऐहतिजाज व मुतालबा करके ख़ामोश हो जाये बल्कि मुसलमान हुकूमती ऐवानों में खलबली मचाना भी अच्छी तरह जानता है। लिहाज़ा हुकूमत हमारी मज़हबी आज़ादी के बुनियादी हक़ पर बुरी नज़र न डाले और हमें दस्तूर के मुताबिक़ मुकम्मल मज़हबी आज़ादी के साथ ही रहने दिया जाये इसी में मुल्को मिल्लत की बक़ा और उसके फ़वाइद मुज़मर (छिपे हुऐ) हैं।

क्या समान नागरिक संहिता का निफ़ाज़ ज़रूरी है ?

हमारा मुल्क सैक्यूलर है यहाँ की अदलिया का कोई मज़हब नहीं सैक्यूलरिज़्म का यह मतलब तो हरगिज़ नहीं है कि हिन्दुस्तान में समान नागरिक संहिता (यूनिफ़ार्म सिविल कोड) को लाज़मी तौर पर नाफ़िज़ ही किया जाये, न सैक्यूलरिज़्म का यह मफ़हूम है कि रियासत के चप्पे – चप्पे से मज़हबीयत के तमाम नुक़ूशो रूहानियत को महव (मिटा) कर दिया जाये, समाज से मज़हबी रिवायत और अफ़राद के दिलों से मज़हबी तालीमात को खुरच खुरच कर मिटा दिया जाये। सैक्यूलर रियासत का मतलब सिर्फ़ यह है कि हुकूमत का कोई मज़हब नहीं होगा, वह किसी मज़हब की तरफ़दार नहीं होगी। किसी मज़हब के मानने या न मानने की वजह से कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जायेगा। हर फ़र्द (इंसान) को मज़हब के कुबूल करने की आज़ादी होगी। यह मफ़हूम दस्तूरे हिन्द से वाज़ेह होता है और इसी मफ़हूम के पेशे नज़र यहाँ क़वानीन बनाये गये हैं। इसके बाद यह सवाल नहीं उठता कि सैक्यूलरिज़्म का लाज़मी तक़ाज़ा समान नागरिक संहिता (यूनीफ़ार्म सिविल कोड) है।

समान नागरिक संहिता (यूनीफ़ार्म सिविल कोड) की बहस छेड़ना

सिंघ और आर.एस.एस. की सोची समझी साज़िश है इस मसले को ज़ेरे बहस लाकर हिन्दुस्तानी आवाम के साथ ज़ाहिरन हमदर्दी का इज़्हार है हक़ीक़त में उन ज़रूरी बातों से पर्दा पोशी करना मक़सूद है। जिनके हल के लिये गवर्नमेन्ट कोई पुख़्ता लाईहये अमल (प्रोग्राम) अभी तक तैयार नही कर सकी है। तीन तलाक़ के मसले को उछालकर लीडरान अपनी सियासी ज़मीन को हमवार (बराबर) करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं।

ज़रा इन्साफ़ की नज़र से ठन्डे दिल से सोचिए!, गौरो फ़िक्र कीजिए! क्या सिर्फ़ मुस्लिम ख़्वातीन (औरतें) ही हर किस्म के मज़ालिम की शिकार है। क्या दूसरी क़ौमों की ख़्वातीन (औरतें) के साथ कोई ज़ुल्मों ज़्यादती नहीं हो रही है?क्या दुनिया की किसी दूसरी क़ौम में ख़ातून (औरत) को मेहर दिये जाने का इन्तेज़ाम है? हिन्दुस्तानी हुकूमत ने औरतों की हमदर्दी के लिये मेहर की तरह कौन–सा क़ानून पास किया?इस ताअल्लुक़ से पारलियामेन्ट में क्या और कब बहस की गयी?इस वक़्त हमारी हुकूमत की तरफ़ से तीन तलाक़ के मुआमले को इस तरह उछाला गया है जिससे ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तानी हुकूमत के लिये सबसे बड़ी परेशानी और सबसे ख़तरनाक चैलेंज हिन्दुस्तानी मुसलमान औरतों को मिलने वाली तलाक़ है। इस मुआमले को सियासी फ़क़ीरों ने इतना भारी बना दिया है कि अब उसके सामने हिन्दुस्तान के तमाम मुआमलात बे वज़न होकर दब से गये हैं जब कि हक़ीक़ते हाल यह है कि हमारे मुल्क के लोग बहुत सी परेशानियों में गिरफ्तार हैं। उनका कोई अच्छा हल तलाश करने में हमारी हुकूमत नाकाम है।

अन्दाज़े के मुताबिक़ दुनिया में हर 40 सैकण्ड में एक इन्सान खुदकुशी करके मरता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्योरो (National Crime Records Beureau) की रिपार्ट के मुताबिक़ सिर्फ़ हिन्दुस्तान में हर 4 मिनट में एक इन्सान ख़ुदकुशी कर रहा है। फांसी, ज़हर और बन्दूक वग़ैरह के ज़रिये हर साल तक़रीबन 8 लाख से 10 लाख तक लोग खुदकुशी करके मरते हैं। ख़ुदकुशी करने वालों में मर्दो के मुक़ाबले औरतों की तादाद 3 गुना ज़्यादा है।

आलमी पैमाने पर तक़ाबुल किया जाये तो सिर्फ़ हमारे मुल्के हिन्दुस्तान में 21 फ़ीसद लोग खुदकुशी करते हैं। बाक़ी पूरी दुनिया में ख़ुदकुशी करने वालों की तादाद 79 फ़ीसद है। हमारे प्यारे मुल्के

हिन्दुस्तान में रोज़ाना तक़रीबन 707 लोग ख़ुदकुशी करके अपनी क़ीमती और अनमोल जानो को ज़ाया कर देते हैं। क्या कभी हुकूमत ने उनकी रोकथाम के लिये कोई मुस्बत और ठोस क़दम उठाया?

एन.सी.आर.बी. (National Crime Records Beureau) की रिपोर्ट के मुताबिक़ साल 2014 ई० में तक़रीबन 60 हज़ार शादी शुदा मर्दो और 27 हज़ार औरतों ने ख़ुदकुशी की है। तलाक़ के बाद 550 मर्दो और 410 औरतो ने ख़ुदकुशी की है। क्या हुकूमत ने इस पर ग़ौर किया कि तलाक के बाद मरने वालों की तादाद औरतों की ज़्यादा है या मर्दो की?अगर तादाद मर्दो की ज़्यादा है तो हुकूमत ने उसके हल के लिये क्या मुस्बत क़दम उठाया और क्या तदबीरे की हैं?कब इसको सियासी लीडरों ने मौज़ूऐ बहस बनाया?

ख़ुदकुशी के अस्बाबः-

इससे बड़ा और ज़ुल्म क्या होगा कि इन्सान ख़ुदकुशी करने के लिये मजबूर हो जाये। हुकूमत को चाहिऐ कि वह पहले ऐसे ज़ुल्म और ज़्यादतियों की रोकथाम करे कि जिन की वजह से इन्सान बर्दाश्त की तमाम सरहदों को पार करके मौत को गले लगा लेता है। ख़ुदकुशी के अस्बाब पर ग़ौरो फ़िक्र किया जाये और उनको दूर करने की हत्तल इमकान कोशिश की जाये इसके लिये कोई ठोस लाईहये अमल (प्रोगाम) तैयार किया जाये।

मुल्क में किसानों के साथ ज़ुल्मः-

2013 ई० के सर्वे के मुताबिक़ हर एक किसान परिवार पर तक़रीबन 47 हज़ार रूपये क़र्ज़ है। 41 फ़ीसद किसानों के परिवारों के पास वी.पी.एल. या उससे नीचले दर्जे के कार्ड हैं और 44 फ़ीसद किसान परिवारों के पास मनरेगा कार्ड हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि मुल्क के किसानों की अक्सरियत ग़रीबी की ज़िन्दगी गुज़ारने पर मजबूर है। अन्दाज़े के मुताबिक़ गांवो की आबादियों में ख़ुदकुशी करने वालों में 70 फ़ीसद किसान परिवार वाले होते हैं। यानि गांव में 90 हज़ार 586 अफ़राद जो ख़ुदकुशी करने वाले हैं उनमें से 70 फ़ीसद यानि 63 हज़ार 410 लोगों की ख़ुदकुशी के मुआमलात किसानों से मुताअ़ल्लिक़ हैं इस ऐतिबार से हिन्दुस्तान के गांवो में किसानों के घर रोज़ाना 174 और एक घण्टे में 7 लोग ख़ुदकुशी करते हैं और यह हालात किसी एक सुबे के नहीं

पूरे मुल्क में ही ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं।

किसान वह कौम है कि जिनका एहसान हर क़िस्म के पेशे वालों पर है, किसान अपने ख़ून पसीने को बहाकर गर्मी के मौसम में गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करके जाड़ो में सर्दी को सहकर रात दिन एक करके अनाज और ग़ल्ला पैदा करता है हमारे मुल्क में उनके साथ भी धांधली की जाती है। एक तरफ़ उनके अनाज व ग़ल्ला की ख़रीदारी के लिये सेन्टर क़ायम किये जाते हैं। दूसरी जानिब उन सेन्टर पर ग़ल्ले की ख़रीदारी को रोक कर हुकूमती लीडरों के नुमाइंदे ग़ल्ला व अनाज ख़रीदने के लिये निकल पड़ते हैं अब मजबूरन किसानों को अपने ख़ून पसीने की कमाई औने पौने दाम में बेचनी पड़ती है। क्योंकि गर्वनमेन्ट ने जो रेट मुतअय्यन किया है उसको हासिल करने के लिये उनको रूकना पड़ेगा और क़र्ज़ा वग़ैरह की मजबूरियों की वजह से किसान अब मज़ीद रूकने की हैसियत में नही होता है।

औरतों पर ज़ुल्मों ज़्यादतीः-

हिन्दुस्तानी औरत घर से लेकर ऑफ़िस तक कहाँ महफ़ूज़ है?घरों में कभी वह बाप की हवस का शिकार बन रही है कभी भाई और चचा की गन्दी नज़रों के तीर उसको घायल करते हैं। घर से बाहर जब सर्विस के लिये जाती है। मैनेजर व ऑपरेटर से लेकर दीगर सर्विस पार्टनर के लिये वह खेलने का सामान होती है। जब मन्दिर में पहुँचती है तो वहाँ आसाराम, बाबा राम और स्वामी नितिया नन्द की तरह बहुत से शयातीन मौजूद होते हैं जो अपनी नफ़सानी ख़्वाहिशात की तकमील करने से नहीं चूकते।

बेरोज़गारी और भूकमरीः-

दूसरे मुमालिक को बतौरे इम्दाद हमारी हुकूमत हज़ारों करोड़ तक दे देती है। लेकिन अपने मुल्क की आवाम के लिये कोई ठोस इन्तेज़ाम नहीं किये जाते। दूसरे तब्क़े के लोगों को छोड़िये सिर्फ़ ग्रेजुऐट व पोस्ट ग्रेजुऐट को देखिऐ कितनो को रोज़गार मिलता है और कितने बेरोज़गारी व भूकमरी का शिकार होते हैं ऐसे लोग चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं और पैसो के हुसूल के लिये दूसरों की जानों की भी परवाह नहीं करते अगर गर्वनमेन्ट की तरफ़ से उनकी बेरोज़गारी को दूर करने के लिये कोई ठोस क़दम उठाया गया होता तो हमारे मुल्क में चोरी, डकैती

और क़त्लो ग़ारत गरी की इतनी वारदाते हरगिज़ न होतीं और बेरोज़गारी में भी बहुत सी कमियां हो चुकी होती।

जहेज़ की माँगः–

हर घण्टे में एक औरत को जहेज़ की वजह से क़त्ल किया जाता है पिछले तीन सालों में 24 हज़ार 771 औरतों को जहेज़ की वजह से मौत के घाट उतारा गया है। यह तादाद उन औरतों की है जिनकी बाक़ायदा क़ानूनी ऐतिबार से थानों में रिपोर्ट दर्ज की गई है। महिला बाल विकास मंत्री मेनका गाँधी ने कहा कि 2012–13–14 में जहेज़ की वजह से मारी गई औरतों की तादाद 8 हज़ार 233, 8 हज़ार 83, और 8 हज़ार 455 है।

कोई भी अच्छी चीज़ जब तक दायरे और हुदूद में रहे तब तक वह बेहतर है जब वह दायरे से निकले और हुदूद को तजावुज़ करे तो बहुत नफ़ा बख़्श चीज़ भी जान की दुश्मन बन जाती है। औरत की आज़ादी के नाम पर औरत को इस मक़ाम पर पहुँचा दिया कि अब हर जगह काम करने के लिये आपको औरत मिलेगी। दुकानें, ऑफ़िस, फ़ैक्ट्रियां और कारखाने वग़ैरह कौन–सी ऐसी जगह है कि जहाँ औरत को दाख़िल करके उसकी आबरू के साथ खिलवाड़ न किया जाता हो।

पहले उन्ही सियासी लीडरों और सरमाऐ दारों ने दिखा दिखा कर जहेज़ देना शुरू किया जिसकी वजह से मुल्क में जहेज़ का रिवाज आम होता गया। अब हर ग़रीब और अमीर को अपनी बेटी की शादी के ख़्वाब को देखने के लिये बहुत से जहेज़ का इन्तेज़ाम करना पड़ता है। जिसकी कई लड़कियां होती हैं तो वह उन्हीं की फ़िक्र में घुटता रहता है और बहुत से लोगों के दिलों की धड़कनें तक इस ख़ौफ़ से ख़त्म हो जाती हैं कि वह जहेज़ का इन्तेज़ाम कहाँ से करेंगे। जहेज़ की माँग मुल्क में इस क़द्र बढ़ चुकी है कि बहुत सी लड़कियों पर बुढ़ापा सिर्फ़ इस वजह से आ जाता है कि उनके वालिदैन (मांप–बाप) मुरव्वजह जहेज़ का इन्तेज़ाम नहीं कर सकते।

ज़िना बिलजब्र (रेप) :–

ज़िना बिलजब्र के मुआमले में आलमी पैमाने पर अगर हिन्दुस्तान को देखा जाये तो वह मुमालिक जिनमें सबसे ज़्यादा ज़िना बिलजब्र की वारदातें होती हैं उनमें इसको चौथा मक़ाम हासिल है। एन.सी.आर.बी. की

रिपोर्ट के मुताबिक़ साल 2013 ई० में मुल्क भर में तक़रीबन 24 हज़ार 923 मुआमलात ज़िना बिलजब्र के वह हैं जो दर्ज किये गये हैं। जब भी आप अख़्बार को देखें तो मुल्क के कई हिस्सों की ऐसी ख़बरें आपको ज़रूर मिलेंगी कि जिनमें औरत की इज्तिमाई (सामूहिक) या इन्फ़िरादी आबरू रेज़ी का ज़िक्र होगा। यहाँ तक कि 3 या 4 साला बच्चियाँ तक हवस के पुजारियों से महफ़ूज़ नहीं हैं।

जिहालत (अनपढ़ता) :–

यह बात तो सब जानते हैं कि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग बग़ैर ग़ौरो फ़िक्र किये हुये ख़ुदकुशी कर लेते हैं और तजरबात भी यही बताते हैं हिन्दुस्तान में 2004 ई० के सरवे के मुताबिक़ ख़ुदकुशी करने वाले लोगों में से 90 फ़ीसद वह लोग थे जो या तो बिल्कुल अनपढ़ या कम पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे सिर्फ़ 6 फ़ीसद थे।

हमारे मुल्क के तालीमी इदारों के हालात किसी पर पोशिदा नहीं हैं कुछ इदारे वह होते हैं कि जिनमें सियासी लीडर और सरमाये दार ही अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यह इदारे हुकूमत के क़ायम कर्दा नहीं होते हैं बल्कि उनकी बाग़ डोर हुकूमत से अलग किसी और के हाथ में होती है। ऐसे इदारों में तो तालीम पर ध्यान दिया जाता है लेकिन उनमें इतनी ज़्यादा फ़ीस होती कि ग़रीब तो दूर की बात मीडियम दर्जे का इन्सान भी अपने बच्चों को नही पढ़ा सकता है। दूसरे वह इदारे होते हैं जिनकी बाग़ डोर हुकूमत के हाथ में होती है लेकिन उनमें पढ़ाने वाले अकसर न अहल और ग़ैर ज़िम्मेदार होते हैं जो सिर्फ़ बराये नाम खाना पुरी के लिये जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको खाना पुरी के लिये भी नहीं जाना पड़ता है। ऐसे हालात में क्या तालीमी तरक़्क़ी हो सकती है और कैसे हिन्दुस्तान के बाशिन्दे तालीम याफ़्ता हो सकते हैं?

इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जिनको सुधारने के लिये हुकूमत को फ़ौरी इक़्दामात करने की सख़्त ज़रूरत है। इन मज़कूरा बातों पर अदलिया और हुकूमत को ग़ौर करने की ज़रूरत है कि इनके हल के लिये जल्द से जल्द कोई ठोस और मुस्बत क़दम उठाया जाये। अगर हिन्दुस्तान से लड़ाओ और राज करो, नफ़रत फैलाओ और हुकूमत करो की पालिसी को ख़त्म न किया गया तो यह मुल्क कभी भी तरक़्क़ी नही कर सकेगा। मुल्क की तरक़्क़ी के लिये ज़रूरी है कि इस मुल्क के तमाम

बाशिन्दों के साथ हुकूमत यक्सां (समान) सुलूक करे। ज़ात पात और रंगो नस्ल का खेल खेलने वाले मुल्क के हरगिज़ वफ़ादार नहीं हो सकते बल्कि ऐसे लोग हमारे मुल्क के ख़ुबसूरत चेहरे पर बदनुमा दाग़ हैं।

दहशत गर्दी :-

लोगों को डराना धमकाना और उनको सताना यही तो है दहशतगर्दी, आज मामला उल्टा है जो भारत माता की जय के नारे न लगाऐं उनको दहशतगर्द और देश द्रेही कहा जा रहा है, जिन हिन्दूओं ने दहशत की वारदातें अन्जाम दी हैं उनकी दहशतगर्दी को छुपाने की कोशिश की जा रही हैं। जहाँ भी कोई दहशतगर्दी की वारदात होती है बग़ैर देखे वक्त से पहले ही मुसलमानों की गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं और दुनियाँ के सामने किसी न किसी मुसलमान को ज़िम्मेदार बना कर भी पेश कर दिया जाता है।

2008 ई0 में मुम्बई के दहशत गर्दाना हमले के बाद'' केन्द्रीय सरकार '' ने ''राष्ट्रीय तहक़ीक़ाती एजेन्सी'' के नाम से एक इदारा क़ायम किया था जिसका मक्सद मुल्क में दहशदगर्दी के वाक़ियात की आज़ादाना तहक़ीक़ करके मुल्ज़िमों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना था। यू0 पी0 ए0 हुकूमत के दौर में '' एन0 आई0 ए0 '' ने हिन्दू दहशतगर्दी को बे निक़ाब किया। महाराष्ट्र इन्सिदादे दहशतगर्दी इस्कोवाड के सरबराह हेमंत करकरे ने मालेगाँव बम धमाकों के जुर्म में हिन्दू दहशतगर्द तन्ज़ीम '' अभीनव भारत '' के कारिन्दों को गिरफ्तार किया, और मुल्क में हिन्दू दहशतगर्दी का चेहरा खुलकर सामने आ गया जिस के बदले में हेमंत करकरे की जान ही लेली गई। आठ साल का लम्बा ज़माना गुज़रने के बाद आज भी उनकी मौत पर राज़ के काले पर्दे पड़े हुए हैं। ''विकी लैक्स'' के मुताबिक़ हेमंत करकरे को सिर्फ़ इसलिए मारा गया था क्योंकि उन्होंने हिन्दू दहशतगर्दी को बेनिक़ाब किया था।

मालेगाओं की तरह मक्का मस्जिद हैदराबाद, अज्मेर शरीफ़ राजिस्थान और समझोता ऐक्सप्रेस वग़ैहर के बम धमाकों में भी हिन्दू दहशतगर्द ही शामिल पाये गये और उनको गिरफ्तार भी किया गया। '' स्वामी असीमानन्द'' के 2010 ई0 के इक़्बालिया ब्यान से यह बात अच्छी तरह से साबित हो चूकी थी कि मुल्क में हिन्दू दहशतगर्दी का वजूद है। वक्त गुज़रने पर एन0 आई0 ऐ0 के दफ़्तर से ''स्वामी

मुकर गया। समझौता एक्सप्रेस के धमाके में सबसे अहम किरदार अदा करने वाले'' कर्नल प्रसाद प्रोहत'' को क्लीनचिट दे दी गई, मालेगाँव धमाकों में शामिल''साध्वी प्रग्या'' को भी बेगुनाह करार देने की साजिश रची जा चुकी थी।

जब से मौजूदा हुकूमत बरसरे इक्तिदार आई है तबसे ऐसा लगता है कि मुजरिमों और हिन्दू दहशतगर्दो के निहायत ही अच्छे दिन आ गऐ हों सबसे पहले गुजरात दंगों में शामिल, बदनामे ज़माना और गद्दार पूलिस मुलाज़मीन और उहदेदारान को रिहा करवाने का काला धंधा शुरू हुआ। ''इशरत जहाँ'' एनकावन्टर के मआमले में गुजरात पुलिस के सरबराह से लेकर दूसरे नौ (9) बड़े उहदेदारों को जेल की सलाख़ों में क़ैद किया गया था, मौजूदा हुकूमत के इक्तिदार में आते ही गुजरात पुलिस के सरबराह ''पी0 पी0 पान्डे'' को न सिर्फ़ जेल से रिहा किया गया बल्कि हुकूमत ने उनको रियासत का उबूरी डी0 अई0 जी0 भी बना दिया। इशरत जहाँ एनकावन्टर के दूसरे मुल्ज़िम ''डी0 जी0 विन्ज़ारा'' जिनको गुजरात बदर करके हुकूमत ने गुजरात में उनके दाख़िल होने पर पाबन्दी लगा दीथी अब वह कोर्ट की इजाज़त से रियासत में वापस आगये और तलवार के साथ रक्स (नाच) करते हुए यह ऐलान किया है कि वह अब एक नई जिन्दगी की शुरूआत करेंगे और मुख़ालफ़ीन को भरपूर जवाब देंगे। गुजरात फ़सादात के दो अहम मुल्ज़िमीन जिनको कोर्ट ने उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी उनको रिहा करदिया गया है। 2004 ई0 में हुए इशरत जहाँ एनकावन्टर के वक्त मौजूदा बी0 जे0 पी0 सदर'' अमित शाह'' रियासत के वज़ीरे दाख़ला थे उनको भी इसी जुर्म में गिरफ्तार करके मुक़द्दमा चलाया गया था लेकिन इस वक्त वह भी बरी हो चुके हैं।

ऐसे एक दो मआमलात नहीं बल्कि बहुत सी वारदातें हैं क्या हुकूमत ने कभी इनपर संजीदगी से ग़ौर किया?क्या कभी किसी हिन्दू दहशतगर्द को भी दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में फांसी के फन्दे पर चढ़ाया गया?जब हमारा मुल्क जम्हूरी है यहाँ के संविधान में सबके साथ बराबर सुलूक किया जाना यह दस्तूर की अहम दफ़आत से है अब तक इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है?क्या हुकूमत को पहले इस बात की ज़रूरत नहीं कि मुल्क की तरक्क़ी और उसकी बक़ा के लिए दहशतगर्दी के मआमले में किसी भी दहशतगर्द के मज़हब वग़ैरह को देखे बिना उस पर

क़ानूनी कार्रवाई करे?अगर मुसलमानों के तअल्लुक़ से लिखा जाय तो पूरी एक लम्बी दास्तान इसी बात की तैयार हो जायेगी कि आज तक बहुत से मुसलमानों का फ़र्ज़ी एनकावन्टर किया गया, बहुत से मुसलमान नौजवानों को बिला वजह गिरफ्तार किया गया जब उनकी जवानी बरबाद हो गई और बुढ़ापा आगया तब हुकूमत ने उनको बेगुनाह मानकर रिहा कर दिया और बहुत से मुसलमान सिर्फ़ मुसलमान होने की वजह से आज भी जेल की सलाख़ों में अपनी जिन्दगी गुज़ार रहे हैं।

एक दो ज़ख़्म नहीं सारा जिस्म है छल्नी
दर्द बेचारा परीशाँ है कहाँ से उठे

इस्लाम में औरत का मक़ाम :-

इस्लाम में औरत की क़द्र व क़ीमत ऐसी भी नहीं है कि औरत कमाने के लिए जाय हाथ में कुदाल लेकर ज़मीन को खोदती फिरे, बच्चों को पीठ पर बांध कर, ईटों को सरपर लादकर चार पांच मन्ज़िल के ऊपर पहुँचाये, वह रोज़ाना दफ़्तरों के चक्कर काटती रहे और दूसरों के चक्कर में फंसती रहे, रेस्टोरेन्ट (त्मेजंनतंदज) मॉल (डंसस) और होटल (भ्वजमस) में नीम उरियाँ होकर दूसरों के सामने जाम व मिना छलकाने के लिए झुकती फिरे, हवस के पुजारी उसकी लाइ हुई चीज़ की तरफ़ ध्यान न देकर अपनी आँखों को उसके जिस्म में गाड़दें, औरत इतनी परिशानियाँ, मुसीबतें और मशक्क़तें उठाकर बल्कि अपनी इज़्ज़त व असमत को दाव पर लगाकर कुछ पैसे कमाकर लाये और शौहर उसकी कमाई से अय्याशी करे और अपनी दय्यूसी में खुश रहे।

इस्लाम ने औरत को इतनी बलन्दी और अज़मत अता की है जिसकी नज़ीर किसी दूसरे मज़हब में नहीं मिल सकती।इस्लाम इस बात का क़ाइल है कि औरत को महारानी बनाकर रखा जाऐ शौहर परलाज़िम व ज़रूरी है कि वह उसके खाने पीने, रहने सहने और ओढ़ने बिछाने का इन्तिज़ाम करे। खुद कमाकर लाये और बीवी को कमाने न भेजे बल्कि बिठाकर खिलाये और उसको किसी भी क़िस्म की परीशानी न होने दे।

इस्लाम के तलाक़ के तरीक़े की ख़ुबीः-

औरत को शौहर के साथ इतना मजबूर कर देना कि शौहर के

इस्लाम के तलाक़ के तरीक़े की ख़ुबीः-

औरत को शौहर के साथ इतना मजबूर कर देना कि शौहर के मरने के बाद भी उसको मर्द की अर्थी पर जलाने के जतन किए जायें। जहाँ एसी सूरते हाल होती है वहाँ औरत को मज़लूम कहा जाता है और कहना भी चाहिए। जहाँ मियाँ और बीवी के दरमियान तल्ख़ियाँ और दूरियां जब इतनी बढ़ जायें कि अब एक साथ रहने की कोई सूरत न हो और वहाँ तलाक़ की तरह छुटकारे का कोई विकल्प (ऑपशन) भी न हो तो ऐसी जगहों और ऐसे क़ानून व रिवाज के मानने वालों से आप को यह ख़बरें खूब मिलेंगी कि फ़लाँ जगह पर औरत की साड़ी में या गैस सैलेन्डर में आग लग गई जिसकी वजह से औरत जलकर मर गई या छत के ऊपर से पैर फिसलने से मौत हो गई।अल्हमदो लिल्लाह! ऐसी ख़बरें इस्लाम के क़ानून को मानने वाले मुसलमानों मे सुनने को नहीं मिलती हैं।

मर्द औरत को तलाक़ देकर खुद तो शादी करले लेकिन औरत उसके बारे में सोचे भी तो मुजरिम क़रार दी जाये जिस क़ौम मे ऐसा रिवाज होता है उसमें ख़ुदकुशी की वारदातें ज़्यादा होती हैं और औरतें अय्याशी के धन्दे को इख़्तियार कर लेती हैं।

जब मियाँ बीवी के दरमियान निभाव की कोई सूरत न रहे रिश्तों में कड़वाहट आ जाये, एक साथ रहना मुश्किल हो जाये तो ऐसी सूरत में इस्लाम ने मियाँ बीवी को बिल्कुल मजबूर नहीं किया है बल्कि ऑपश्न के तौर तलाक़ को रखा है। इसका तरीक़ा यह है कि शौहर अपनी बीवी को सिर्फ मजबूरी में एक तलाक़ दे और खुद गौर व फ़िक्र करे कि उसका यह क़दम ठीक है या नहीं और औरत को सोचने समझने का मौक़ा दे कि वह अपनी ग़लतियों और कमियों से बाज़ आ जाये, अगर मर्द को अपनी गलती समझ में आती है तो अपनी ग़लती को मान कर फिर से औरत के साथ अपनी वैवाहिक ज़िन्दगी को शुरू कर सकता है और अगर औरत के अन्दर कमियाँ हैं और वह अपनी कमियों को छोड़ने पर राज़ी है तो शौहर उसको अपनी बीवी बनाकर रख सकता है। शरीअ़त ने इस एक तलाक़ का भी तरीक़ा और ज़ाबता मुतय्यन किया है जिसको उलमा और मुफ़्तीयाने किराम से समझा जा सकता है। एक साथ बिला वजह दो तलाक़ें या तीन तलाक़ें देने को शरीअ़त ने गुनाह क़रार दिया है। लेकिन

इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि अगर कोई एक साथ तीन तलाक़ें देगा तो वह नहीं पड़ेंगी। बल्कि जिस तरह से किसी को बिला वजह क़त्ल करना शरीअ़त में जुर्म है और हमारे हिन्दुस्तान के आईन में भी जुर्म है तो अगर कोई किसी को क़त्ल करेगा तो जुर्म होने के बावजूद भी जिस का क़त्ल किया गया है उसकी जान तो चली ही जाएगी। हाँ क़त्ल करने वाला शरीअ़त के एतिबार से और हमारे हिन्दुस्तान के आईन के एतिबार से भी मुजरिम क़रार दिया जायगा। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई एक साथ दो तलाक़ें या तीन तलाक़ें देगा तो वह वाक़े हो (पड़) जायेंगी और ऐसा करने वाले को इस्लामी शरीअ़त के एतिबार से मुजरिम क़रार दिया जाएगा। हिन्दुस्तान की अज़्दवाजी (वैवाहिक) हालात पर 2011 ई० के सर्वे के मुताबिक़ तलाक़शुदा हिन्दुस्तानी औरतों में 68 फ़ीसद हिन्दू और 3 फ़ीसद से कुछ ज़्यादा मुसलमान हैं। इस सर्वे में सिर्फ़ उन औरतों की तादाद है जिनको तलाक़ दे दी गई है। वर्ना बहुत सी वह औरते हैं जिनको लटका कर रखा गया है जैसे मौजूदा प्रधानमंत्री की पत्नी।

महज़बे मुहज़्ज़ब इस्लाम के हर एक हुक्म में हज़ारों हिक्मतें हैं लेकिन जिसके दिल में कुफ़्रो हसद और ताअ़स्सुब व शिर्क वग़ैरह मौजूद हों तो वह उसकी ख़ुबियों को क्या देखे और क्या ऐतिराफ़ करे? हर एक का ज़ौक़ अलग होता है जो जैसे माहौल में रहता है उसकी तबियत भी उसी की आदी होती है। जैसे:– समन्दर और दरया में रहने वाले जानवरों का ज़ौक़ यह है कि उनको ख़ुश्की नहीं भा सकती और ख़ुश्की में रहने वालों का ज़ौक़ यह है कि वह समन्दर और दरया में जिन्दगी नहीं गुज़ार सकते। जिस तरह से गन्दगी और नजासत में रहने वाले कीड़े मकोड़े साफ़ सुथरे पानी में नही जी सकते। क्योंकि वह उनकी तबीयत के मुताबिक़ नही बिला शुबह (शक) इस्लाम के तलाक़ के तरीक़े में हज़ारो ख़ुबियां हैं लेकिन वह उनको नज़र नहीं आ सकतीं जो बुराईयों के दलदल में रहकर उनके आदी हो चुके हों।